

भारत सरकार  
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय  
पशुपालन और डेयरी विभाग  
लोकसभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2649  
दिनांक 16 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

राष्ट्रीय कृषि-उद्यमिता योजना

2649.श्री इमरान मसूद:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन क्षेत्र में कार्यरत युवाओं के लिए "राष्ट्रीय कृषि-उद्यमिता योजना" आरम्भ करने का विचार है;
- (ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में प्रशिक्षण, ऋण सहायता और बाजार सम्बंधी सहायता हेतु व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या उक्त योजना ग्रामीण स्टार्ट-अप को कृषि-प्रसंस्करण से जोड़ने पर केंद्रित है;
- (घ) यदि हाँ, तो अब तक कितने युवा लाभान्वित हुए हैं; और
- (ङ) क्या सरकार ने उक्त योजना के लिए राज्य सरकारों के साथ कोई संयुक्त मंच तैयार किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री  
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ङ) भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) का पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन क्षेत्र में कार्यरत युवाओं के लिए "राष्ट्रीय कृषि-उद्यमिता योजना" शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार, राष्ट्रीय पशुधन मिशन-उद्यमिता विकास कार्यक्रम (NLM- EDP) का कार्यान्वयन कर रहा है, जो एक प्रमुख घटक है और ग्रामीण पोल्ट्री, भेड़, बकरी, सूअर, ऊंट, घोड़े और गधे के फार्मों के लिए 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, यह चारा मूल्यवर्धन इकाइयों को भी सहायता प्रदान करता है, जिनमें हे, साइलेज, कुल मिश्रित राशन (TMR), चारा ब्लॉक और चारा बीजों के प्रसंस्करण, वर्गीकरण और भंडारण की इकाइयाँ शामिल हैं। विभिन्न घटकों के लिए अधिकतम सीमा 3 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक है। पात्र संस्थाओं में व्यक्ति, किसान उत्पादक संगठन (FPO), स्वयं सहायता समूह (SHG), संयुक्त देयता समूह (JLG), किसान सहकारी संगठन (FCO) और धारा 8 की कंपनियां शामिल हैं। यह योजना एंड-टू-एंड डिजिटल है। अब तक 3843 परियोजनाओं को अनुमोदन मिल चुका है, जिनकी कुल अनुमोदित परियोजना लागत 2672.45 करोड़ रुपये है और अनुमोदित सब्सिडी 1233.69 करोड़ रुपये है। राज्य सरकारें NLM-EDP के तहत उद्यमियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर कार्रवाई करने, उनके सत्यापन और आगे जमा करने के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में कार्य कर रही हैं। यह योजना स्टार्टअप को योजना के दिशानिर्देशों का अनुपालन करने की शर्त पर लाभ उठाने में सक्षम बनाती है। आज की तारीख तक, 3784 व्यक्तिगत लाभार्थियों को सहायता प्रदान की जा चुकी है।

\*\*\*\*\*